कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

काले हिरण व चिंकारा के शिकार कर अतंराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का आरोपी आजाद की दूसरी जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा ख़ारिज

प्रेस विज्ञप्ती (**43/26, दिनांक 17.07.2026)**

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) को वन्यजीव अपराध के खिलाफ एक बड़ी कानूनी सफलता मिली है। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर के द्वारा काले हिरण (Blackbuck) के अवैध शिकार कर अंतराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह में शामिल मुख्य आरोपी आजाद सिंह सोलंकी उर्फ चिंटू बाना की दूसरी नियमित जमानत याचिका (MCRC 29129/2026) को खारिज कर दिया है।

आरोपी आजाद सिंह को स्टेट टाइगर स्ट्राइक इकाई, इंदौर द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वन अपराध क्रमांक 237/22 दिनांक 21.08.25 में गिरफ्तार किया गया था। इससे पूर्व भी 6 फरवरी 2026 को माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सटिक विविचेना एवं अभियोजन पक्ष के द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर आरोपी की प्रथम जमानत याचिका खारिज की जा चुकी थी। प्रकरण में दिनाँक 14.11.2025 को एसटीएसएफ मुख्यालय व इकाई भोपाल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी आजाद सिंह सोलंकी पिता चतरसिंह सोलंकी निवासी ग्राम राघौखेडी जिला शाजापुर को भोपाल-ब्यावरा नेशनल हाइवे पर इंडस्ट्रिलय एरिया पिलूखेडी, के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी 14 नवंबर 2025 (08 माह) से लगातार न्यायिक हिरासत में है।

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने गवाहों के बयानों का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई, लेकिन स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की सटिक विवेचना एवं सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने अपराध की गंभीरता और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी की याचिका खारिज कर दी। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स वन्यजीवों के शिकार और तस्करी के खिलाफ अपनी Zero Tolerance की नीति के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में प्रकरण में कुल 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल